bodia Mills Ltd. Further action will be taken on receipt of the report of the Officer's Group.

EXPORT OF OIL CAKES

3524. SHRI DHIRESWAR KALITA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the oil cake exporters have complained of non-availablity of shipping space and heavy freights for the exports;

(b) if so, the steps taken to help the exporters in this respect; and

(c) the total quantity of oil cakes exported in the last three years ; and the value of therefof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c)

Year	Qty. (in '000' tonnes)	Value (in Rs. lakhs)
1964-65	1,246	3,924
1965-66	828	3,464
1966-67	821	4,689

REVISION OF PRICE OF PAPER

3525. SHRI DHIRESWAR KALITA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Indian Paper Mills' Association has demanded an upward revision in the price of paper; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED)

(a) Yes, Sir.

(b) The matter is being reviewed.

PUNISHMENT TO RAILWAY OFFICERS FOR ACCIDENTS

3526. SHRI RABI RAY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of accidents in which the Railway Gazetted Officers have been held responsible and punished during the period 1965 to 1967 ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): During the period 1-1-1965 to 31-10-1967, there were 3 train accidents in which gazetted officers were held responsible. In one case disciplinary action has been taken and in the remaining two disciplinary action is in progress.

बख्तियारपुर-राजगीर सैक्शन (पूर्व रेलवे) पर चलती गाड़ी में डाका

3527. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पुर्वी रेलवे के बख्तियारपुर-राजगीर सैक्शन में, जैसा कि 9 अगस्त, 1967 के दैनिक हिन्दुस्तान में छपा है, 34 घंटों के अन्दर चलती गाड़ी में दो बार डाका डाला गया था और डाकू यात्रियों की बहुत बड़ी धनराशि लेकर भाग गये थे;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने डाकू पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) डाकुओं द्वारा जान और माल को कितनी हानि पहुंचाई गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) से (ग). जी नहीं । सही स्थिति यह है कि 3-8-67 को 5 5 बी० आर० सवारी गाड़ी में पिस्तौल और छुरा दिखा कर डाका डालनें की केवल एक घटना हुई। अनुमान है कि लगभग २२२ रुपये की कीमत का माल लूटा गया । किसी की मृत्यु नहीं हुई । बिहार शरीफ की सरकारी रेलवे पुलिस नें भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला नं० १ ता० 3-8-67 दर्ज किया है जिसकी अभी जांच-पड़ताल हो रही है । अभी तक न तो कोई गिरफ्तार किया गया है और न माल ही बरामद हुआ है ।

सिलिगुड़ी-तिनसुकिया रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बम

3528. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलीगुड़ी-तिनसुकिया पैसेंजर रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी

के एक डिब्बे में एक बम पाया गया था जैसा कि 9 अगस्त, 1967 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि फरवरी और अप्रैल, 1967 में इस लाइन पर तीन बम विस्फोट हुए थे जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सिलीगुड़ी-तिनसुकिया खण्ड पर फरवरी '67 से अप्रैल '67 तक की अवधि में बम विस्फोट के दो मामलों की रिपोर्ट की गयी थी। पहले विस्फोट में केवल एक व्यक्ति मारा गया और पांच व्यक्ति घायल हुए, जब कि दूसरे विस्फोट में न कोई मारा गया और न घायल हुआ।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे खतरनाक क्षेत्रों में निम्नलिखित निवारक उपाय बरत रही है :—

(i) केवल दिन के समय सवारी गाड़ियों का चलाना।

(ii) सेना, इंजीनियरिंग गैंगमैन, और सेना के अधीन तैनात रेलवे सुरक्षा विशेष दल द्वारा रेल-पथ पर गश्त लगाना।

(iii) सूर्यास्त के बाद आवश्यकता पड़ने पर यात्री गाड़ियों के आगे सर्च-लाइट विशेष गाड़ी चलाना।

(iv) आसूचना प्राप्त करने के लिए दीमापुर-मणिपुर रोड में रेलवे, राज्य सरकार और केन्द्रीय रक्षा यूनिटों के एक आसूचना कक्ष की स्थापना करना।

(v) प्लेटफार्म और चलती गाड़ियों में यात्रियों और उनके सामान की अच्छी तरह जांच करना।

(vi) महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों पर लाउड-स्पीकर द्वारा यात्रियों को सावधान करना।

(vii) महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों को सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की निगरानी में चलाना।

पूर्व रेलवे में रेल सेवाओं में अस्त-व्यस्तता

3529. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में और सियालदह सैक्शन पर विभिन्न स्टेशनों पर खाद्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना दिये जाने के कारण रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं, जिसका समाचार 8 नवम्बर, 1967 के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रेल सेवाओं की अस्तव्यस्तता के कारण कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यद्यपि 8 नवम्बर, 1967 के नवभारत में ऐसा कोई समाचार नोटिस में नहीं आया है, लेकिन यह सही है कि अगस्त, 1967 में खाद्यान्न आन्दोलनकारियों द्वारा पूर्व रेलवे में खासकर सियालदह डिवीजन में, गाड़ियों के आने-जाने में रुकावट होने की घटनाएं हुईं।

(ख) उपद्रवों के दौरान सवारी गाड़ियां सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों की निगरानी में चलायी गयीं। जिन स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की सम्भावना थी वहां पुलिस के दस्तों को भी नियुक्त किया गया।

(ग) सूचना मंगायी जा रही है।